प्रेस नोट *दिनांक 19.12.2025*

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के सक्षम कारावास की सजा व ₹ 8000 के अर्थदंड से हुआ दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दिनांक 18-12-2025 को मु0अ0सं0 133/2019 धारा 307, 323, 324 भा0द0वि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर मे दोषसिद्ध अभियुक्त फिरोज अख्तर पुत्र एहसानुलहक निवासी इब्राहिमपुर थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 10 वर्ष के सक्षम कारावास की सजा एवं ₹ 8,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया,

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री नन्द लाल (एडीजीसी) , प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार हे0का0 आशीष कुमार का सराहनीय योगदान रहा।

जुआ खेलते हुए 06 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से ताश का पत्ता व फड़ के 2190 रुपये बरामद -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 18.12.2025 को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर पर गोठा के पास से मु0अ0स0 266/2025 अन्तर्गत धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम हार जीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तों के साथ जुआ खेल रहे अभियुक्तगण 1. जनार्दन गुप्ता पुत्र बालचन्द गुप्ता निवासी गोठा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ, 2 श्रीमुनि मौर्य पुत्र हरिद्वार मौर्य निवासी गोठा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ, 3 समीम अहमद पुत्र अब्दुल हक निवासी गोठा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ, 4 राजकुमार मौर्य पुत्र हरदेव मौर्य निवासी गोठा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ, 5 धर्मेन्द्र कुमार पुत्र मुनीब राम निवासी गोठा थाना दोहरीघाट जनपद,6 रामू गुप्ता पुत्र मुन्नी लाल गुप्ता निवासी गोठा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ के कब्जे से 52 ताश के पत्ते व फड़ के 2190 रुपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

<u>अभियोग का विवरण</u>

1. मु0अ0सं0 266/2025 अन्तर्गत धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

नाम पता गिरफ्तारसुदा अभियुक्तगण -

1. जनार्दन गुप्ता पुत्र बालचन्द गुप्ता निवासी गोठा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र 40 वर्ष
2. श्रीमुनि मौर्य पुत्र हरिद्वार मौर्य निवासी गोठा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र 39 वर्ष
3. समीम अहमद पुत्र अब्दुल हक निवासी गोठा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र 60 वर्ष
4. राजकुमार मौर्य पुत्र हरदेव मौर्य निवासी गोठा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र 41 वर्ष
5. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र मुनीब राम निवासी गोठा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र 35 वर्ष
6. रामू गुप्ता पुत्र मुन्नी लाल गुप्ता निवासी गोठा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

बरामदगी का विवरण -

1. 52 तास के पत्ते व
2. मालफड़ 2190 रुपये
3. जमा तलासी 1830 रुपये

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री सन्तोष कुमार थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
2. हे.का. राजबहादुर यादव थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
3. का. संजीव कुमार सिंह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
4. का0 दुर्गेश कुमार थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

मिशन शक्ति" अभियान फेज-05 के अन्तर्गत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा पाक्सो एक्ट में 01 अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एंव मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत महिला अपराध में शून्य सहनशीलता के क्रम मे तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण मे क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा दिनाक 19.12.2025 देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना बढुआ गोदाम तिराहे के पास से मु0अ0सं0 429/25 धारा 137(2),

65(1), 87 बी0एन0एस0 व ¾(2) पाक्सो एक्ट थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त अमरपाल सैनी उर्फ जीतू पुत्र महेन्द्र सैनी निवासी केशोपुर मण्डी थाना नकाशी जनपद संभल को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. अमरपाल सैनी उर्फ जीतू पुत्र महेन्द्र सैनी निवासी केशोपुर मण्डी थाना नकाशी जनपद संभल।

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु429 0सं0अ0/25 धारा व 0एस0एन0बी 87 ,(1)65 ,(2)137¾(2) पाक्सो एक्ट थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रांड की गयी 15,000/- रु0 कुल धनराशि (पन्द्रह हजार) रुपये थाना मुहम्मदाबाद साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना मुहम्मदाबाद साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए यूपीआई के माध्यम से अन्जान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड की गयी कुल धनराशि 15,000 (पन्द्रह हजार) रुपये, पीडित रवि यादव पुत्र विपिन बिहारी यादव निवासी कोइरियापार थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ। आवेदक के कुल धनराशि 15000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना मुहम्मदाबाद के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।